

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 31/2026

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

1. श्रवण सिंह पुत्र केसरसिंह जाति  
राजपूत निवासी गांव भूरटिया  
वाया कवास जिला बाड़मेर  
(मैसर्स भगवती ट्रेडिंग कंपनी,  
एसबीआई बैंक के सामने, कवास  
बाड़मेर का विक्रेता)
2. पूनम कंवर पत्नी श्रवण सिंह  
जाति राजपूत निवासी गांव  
भूरटिया वाया कवास जिला  
बाड़मेर (मैसर्स भगवती ट्रेडिंग  
कंपनी, एसबीआई बैंक के सामने,  
कवास बाड़मेर की मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।


आदेश

दिनांक : 07.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप  
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम  
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स  
भगवती ट्रेडिंग कंपनी, एसबीआई बैंक के सामने, कवास बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक  
11.11.2025 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) जो कि 32  
किलो प्लास्टिक के कट्टे में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर  
नियमानुसार 02 किलो मिर्च पाउडर (लूज) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या  
पी-2995 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत  
कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये  
गये। उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक,  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15.12.2025 में उक्त खाद्य  
पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना को **Contravention to Regulation no.  
2.3.14(15) FSSRs (Prohibition and Restriction on sales) 2011 as sold  
loose condition** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस  
पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 31/2026/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम श्रवणसिंह व अन्य मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में जूर्म स्वीकार करते हुए यह पेश किया गया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है। भविष्य में इस प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा। अतः श्रीमान जी नरम दृष्टिकोण बनाए रखें।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 15.12.2025 में उक्त नमूना **Contravention to Regulation no. 2.3.14(15) FSSRs** स्तर का पाया गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार पदार्थ **मिर्च पाउडर (लूज) sold loose condition** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में जूर्म स्वीकार करते हुए यह पेश किया गया कि यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है। भविष्य में इस प्रकार का अपराध कारित नहीं करेगा। अतः श्रीमान जी नरम दृष्टिकोण बनाए रखें। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर **रुपये 4,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर